न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 325/2019
अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र शिशपाल जाति नायक निवासी फेफाना हाल अरनियावाली तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।

– **वादी**

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर हाल निवासी अरनियावाली।
2. राकेश पुत्र शिशपाल जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर हाल निवासी अरनियावाली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री अंजनी कुमार अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 6/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 35/32 की कुल 9.1050है0 भूमि में से 120 हिस्सा व खाता स0 159/31 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत नवीनतम जमाबंदी रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 38/35 की कुल 9.10.80है0 भूमि में से 506/3035 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 180/159 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही [illegible] दावा है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:02:56 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उसके नाम करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम एवं पुरानी जमाबंदीया पेश की।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 प्रतिवादी स0 1 व 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 38/35 की कुल 9.10.80है0 भूमि में से 506/3035 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 180/159 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:02:56 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 38/35 की कुल 9.10.80है0 भूमि में से 506/3035 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 180/159 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को प्रतिवादी स0 1 के साथ तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:02:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 325/2019

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र शिशपाल जाति नायक निवासी फेफाना हाल अरनियावाली तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।

– **वादी**

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर हाल निवासी अरनियावाली।
2. राकेश पुत्र शिशपाल जाति नायक निवासी फेफाना तहसील नोहर हाल निवासी अरनियावाली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादीगण श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादी की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 38/35 की कुल 9.10.80है0 भूमि में से 506/3035 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 180/159 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को प्रतिवादी स0 1 के साथ तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 6/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:02:56 IST
Reason: SelfAttested